भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 1911

उत्तर देने की तारीख : 11.12.2025

पहाड़ी जिलों में एमएसएमई

1911. डॉ. रिकी ए. जे. सिंगकोण:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पहाड़ी जिलों जैसे कि री-भोई, ईस्ट जैंटिया, ईस्टर्न वेस्ट खासी और साउथ वेस्ट खासी हिल्स में संचालित पंजीकृत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की संख्या कितनी है;

(ख) प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), पारंपरिक उद्योगों के पुनरुत्थान के लिए कोष योजना (एसएफयूआरटीआई) और अन्य एमएसएमई योजनाओं के तहत इन क्षेत्रों में कितनी क्रेडिट सब्सिडी प्रदान की गई और कितनी कौशल विकास सहायता प्रदान की गई; और

(ग) क्या सरकार का पहाड़ी क्षेत्रों में बुनाई, हस्तशिल्प और बांस उत्पाद जैसे क्लस्टर-आधारित उद्योग विकसित करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) : उद्यम पंजीकरण पोर्टल की शुरुआत दिनांक 01.07.2020 को की गई थी। दिनांक 30.11.2025 तक की स्थिति के अनुसार पहाड़ी जिलों जैसे रि-भोई, पूर्वी जयंतिया, पूर्वी-पश्चिमी खासी और दक्षिण-पश्चिमी खासी पहाड़ियों में पंजीकृत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की संख्या निम्नानुसार है:-

पहाड़ी जिलों के लिए दिनांक 01.07.2020 से 30.11.2025 तक उद्यम और यूएपी के अंतर्गत पंजीकृत एमएसएमई					
क्र.सं.	**जिला**	**सूक्ष्म**	**लघु**	**मध्यम**	**कुल**
1	पूर्वी जयंतिया पहाड़ी	3,503	37	2	3,542
2	पूर्वी-पश्चिमी खासी पहाड़ी	1,117	1	-	1,118
3	रि-भोई	7,402	60	13	7,475
4	दक्षिणी-पश्चिमी खासी पहाड़ी	1,730	2	-	1,732
	कुल :-	**13,752**	**100**	**15**	**13,867**

(ख) : एमएसएमई मंत्रालय, खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के जरिए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) का कार्यान्वयन करता है। यह केन्द्रीय क्षेत्र की एक स्कीम है जो मेघालय सहित देशभर में गैर-कृषि क्षेत्र में नए सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना में भावी उद्यमियों की सहायता करके प्राथमिक रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सृजित कर रहा है। इन सभी जिलों में पीएमईजीपी का कार्यनिष्पादन **अनुबंध-I** में दिया गया है।

पारंपरिक उद्योगों के पुनरुद्धार के लिए निधिगत स्कीम (स्फूर्ति) के अंतर्गत एमएसएमई मंत्रालय पूर्वोत्तर क्षेत्रों, जम्मू और कश्मीर तथा पहाड़ी राज्यों सहित देशभर में पारंपरिक कारीगरों को व्यापक वित्तीय और क्षमता निर्माण संबंधी सहायता प्रदान करता है। पूर्वोत्तर, जम्मू और कश्मीर तथा पहाड़ी राज्यों में भारत सरकार की सहायता राशि का घटक कुल परियोजना लागत का 95 प्रतिशत है जबकि अन्य क्षेत्रों में यह 90 प्रतिशत है। कौशल प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण और डिजाइन विकास स्फूर्ति के सॉफ्ट इंटरवेंशन घटक में शामिल हैं जिसके अंतर्गत प्रत्येक क्लस्टर हार्ड इंटरवेंशन का 10 प्रतिशत अथवा 25 लाख रुपए जो भी कमतर हो, तक की सहायता प्राप्त करता है।

(ग) : एमएसएमई मंत्रालय देशभर में सूक्ष्म और लघु उद्यम – क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी) का कार्यान्वयन कर रहा है। इस स्कीम का उद्देश्य मौजूदा क्लस्टरों में सामान्य सुविधा केन्द्रों (सीएफसी) की स्थापना करने के लिए भारत सरकार की अनुदान राशि के रूप में वित्तीय सहायता का विस्तार करके क्लस्टर विकास दृष्टिकोण अपनाकर सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) के समग्र विकास हेतु उसकी उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना है तथा नई/मौजूदा औद्योगिक सम्पदाओं/क्षेत्रों/फ्लैटेड फैक्ट्री परिसरों में अवसंरचनात्मक सुविधाओं की शुरुआत/उनका उन्नयन करना है। यह केन्द्रीय क्षेत्र की मांग आधारित स्कीम है तथा इस स्कीम के अंतर्गत राज्यों/संघ-राज्य क्षेत्रों में मौजूदा क्लस्टरों की सामान्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राज्य/संघ-राज्य क्षेत्र की सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त होते हैं।

एमएसई-सीडीपी स्कीम के अंतर्गत पहाड़ी क्षेत्रों में सामान्य सुविधा केन्द्रों (बुनाई, हस्तशिल्प तथा बांस से जुड़े उत्पादों) की स्थापना के लिए अनुमोदित परियोजनाओं का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	**राज्य**	**क्लस्टर का नाम**	**अनुमोदन की तारीख**	**परियोजना लागत**	**भारत सरकार द्वारा अनुमोदित अनुदान राशि**	**स्थिति**
1.	मिजोरम	वुड कारपेंटरी क्लस्टर सीएफसी, बक्तांग, सेरचिप, मिजोरम	30.09.19	530.20	442.20	जारी
2.	असम	बांस युक्त खुशबूदार अगरबत्ती निर्माण क्लस्टर सीएफसी, काकोपाथर, तिनसुकिया	21.06.23	352.09	282.00	जारी
3.	मणिपुर	वुड कारपेंटरी क्लस्टर सीएफसी, चूराचांदपुर, मणिपुर	28.08.19	438.55	369.16	जारी
4.	नागालैंड	वुडर फर्नीचर क्लस्टर सीएफसी, दीमापुर	09.03.20	1016.83	813.47	जारी
5.	सिक्किम	ओखरे कार्पेट क्लस्टर सीएफसी, पश्चिमी सिक्किम	08.08.19	270.26	238.26	जारी

****

अनुबंध-I

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1911, जिसका उत्तर दिनांक 11.12.2025 को दिया जाना है, के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

वित्त वर्ष 2022-23 से वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान मेघालय राज्य में पीएमईजीपी के अंतर्गत सहायता प्राप्त सूक्ष्म उद्यमों की संख्या, संवितरित मार्जिन मनी सब्सिडी, अनुमानित सृजित रोजगार				
क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	सहायता प्राप्त इकाइयों की संख्या	मार्जिन मनी सब्सिडी (करोड़ रु. में)	अनुमानित सृजित रोजगार
1	2022-23	306	6.65	2448
2	2023-24	280	7.25	2240
3	2024-25	1114	34.70	8912

वित्त वर्ष 2022-23 से वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान रि-भोई जिले में पीएमईजीपी का कार्यनिष्पादन				
क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	सहायता प्राप्त इकाइयों की संख्या	मार्जिन मनी सब्सिडी (करोड़ रु. में)	अनुमानित सृजित रोजगार
1	2022-23	34	94.47	272
2	2023-24	28	52.30	224
3	2024-25	134	405.61	1072

वित्त वर्ष 2022-23 से वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान पूर्वी जयंतिया पहाड़ी जिले का पीएमईजीपी संबंधी कार्यनिष्पादन				
क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	सहायता प्राप्त इकाइयों की संख्या	मार्जिन मनी सब्सिडी (करोड़ रु. में)	अनुमानित सृजित रोजगार
1	2022-23	8	17.39	64
2	2023-24	10	25.67	80
3	2024-25	57	168.46	456

वित्त वर्ष 2022-23 से वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान पूर्वी-पश्चिमी खासी पहाड़ी जिले का पीएमईजीपी संबंधी कार्यनिष्पादन				
क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	सहायता प्राप्त इकाइयों की संख्या	मार्जिन मनी सब्सिडी (करोड़ रु. में)	अनुमानित सृजित रोजगार
1	2022-23	2	7.00	16
2	2023-24	5	12.83	40
3	2024-25	17	72.92	136

वित्त वर्ष 2022-23 से वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान दक्षिणी-पश्चिमी खासी पहाड़ी जिले का पीएमईजीपी संबंधी कार्यनिष्पादन				
क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	सहायता प्राप्त इकाइयों की संख्या	मार्जिन मनी सब्सिडी (करोड़ रु. में)	अनुमानित सृजित रोजगार
1	2022-23	12	21.30	96
2	2023-24	3	2.95	24
3	2024-25	48	145.75	384